न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2015 विविध निविदा–106–2016

चतुर्भुज गुप्ता पुत्र श्री अन्तूराम गुप्ता, आयु– वर्ष, व्यवसाय– प्रोपराईटर होटल भगवती, नई सड़क, ग्वालियर

बनाम

1. राकेश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त, म.प्र. शासन, ग्वालियर
2. अजय शर्मा, उपायुक्त, आबकारी, जिला– ग्वालियर

श्री एन. के. चतुर्वेदी एड द्वारा आज दि 8-1-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

08/1/16

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–12 न्यायालय की अवमानना अधिनियम

महोदय,

आवेदन–पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, आवेदक एल.एल.–3 बार लाइसेंस धारक है। आवेदक ने वर्ष 2014–2015 के लिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण/पुनः स्वीकृति हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु नवीनीकरण नहीं किया गया।
2. यह कि, आवेदक ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश के विरूद्ध अपील क्रमांक 440–पीबीआर/2015 प्रस्तुत की, जिसका दिनांक 14.05.2015 को निराकरण करते हुए आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया, कि आवेदक द्वारा जमा की गयी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 106–अध्यक्ष / 2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–03–2016	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–2015 का पालन सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिये जाने से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14–5–2015 की अवमानना होना परिलक्षित नहीं होता है । अतः यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण निरस्त किया जाता है । अध्यक्ष	

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 440–पीबीआर/15

जिला–

स्थान तथा दिनांक	(कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–15	अपीलार्थी ने यह अपील आवकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 10–2–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपीलार्थी को साल 13–14 के लिये आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एफएल–3 का लायसेन्स स्वीकृत था, अपीलार्थी ने आगामी साल 14–15 के लिये दिनांक 25–3–14 को नवीनीकरण हेतु समस्त औपचारिकता की पूर्ति करते हुये आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु उसका आवेदन दिनांक 30–5–14 को कलेक्टर आबकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी को 29–8–14 को सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा दी गई । उक्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी ने कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 10–2–15 द्वारा निरस्त किया है । अपीलार्थी का तर्क है कि उसने वर्ष 2013–14 की लायसेन्स अवधि समाप्त हाने के पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था तथा आवश्यक शुल्क भी जमा कर दिया था, जबकि आबकारी अधिकारियों द्वारा नवीनीकरण की अनुशंसा भी कर दी गई थी परन्तु नवीनीकरण नहीं किया गया एवं आवेदन को लंबित रखा गया । उनका कहना है कि दिनांक 1–4–14 से नये वर्ष की अवधि प्रारभ्भ हो जाती है तब आवेदन की समस्व औपचारिकता पूरी कर दी गई थी तब आवेदन को लंबित रखने का कोई औचिन्य नहीं था आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया एवं दिनांक 26–4–14 करे असत्य आधारों पर अपीलार्थी के यहां होटल में निरीक्षण किया जाना दर्शाते हुये एवं उस निरीक्षण को आधार बनाकर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है । उनका यह भी कहना हैं कि यह कार्यवाही दुर्भावनावश निर्मित की गई, जिसमें किसी सोनू शिवहरे नाम के व्यक्ति के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34	